।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी : कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

अपील सं0 06/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. उम्मेदाराम पुत्र अचलाराम 2. श्रीमती नखतू पत्नी लोंगाराम 3. दमाराम पुत्र लोंगाराम 4. बाबूराम पुत्र लोंगाराम 5. दुर्गादेवी पुत्री लोंगाराम 6. भंवरी पुत्री लोंगाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती नखतू 7. ललिता पुत्री लोंगाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती नखतू सभी जातियान मेघवाल निवासियान रामदेवरा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 8. श्रीमती सन्ताकी पत्नी नन्धाराम पुत्री लोंगाराम जाति मेघवाल निवासी राठोड़ा जिला जैसलमेर 9. श्रीमती गुड्डी पत्नी गंगाराम पुत्री लोंगाराम जाति मेघवाल निवासी राठोड़ा जिला जैसलमेर 10. श्रीमती धापू पत्नी चेलाराम पुत्री लोंगाराम जाति मेघवाल निवासी सोढ़ाकोर जिला जैसलमेर		1. इस्लाम खां पुत्र इब्राहिम खां जाति मुसलमान निवासी गोमट तहसील पोकरण जिला जैसलमेर 2. तहसीलदार पोकरण 3. पटवारी सादा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 857 ग्राम दूधिया जो तहसीलदार पोकरण के आदेश क्रमांक 354 दिनांक 08–04–2015 के अन्तर्गत दिनांक 09–04–2015 को स्वीकृत किया गया को अपास्त करने हेतु।

उपस्थित :–

01. श्री मोहनलाल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से
02. श्री अब्दुल रहमान मेहर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
03. पैरोकार राज तहसीलदार जैसलमेर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं 3 की ओर से

:: निर्णय :: दिनांक : 26 मार्च, 2018

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता ने राजस्व अभिलेख में अमल दरामद के लगभग 45 वर्ष से भी अधिक अवधि के बाद सन् 2006 में एक राजस्व वाद संख्या 6/2006 ग्राम दूधिया के खसरा नम्बर 67 रकबा 333 बीघा 3 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिये अपीलान्ट संख्या 1 एवं अपीलान्ट संख्या 2 से 10 के पति/पिता लोंगाराम के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर, पोकरण में प्रस्तुत किया जिसे उक्त न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30–11–2007 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता फातमा का कथन रहा कि अपीलान्ट संख्या 1 उम्मेदाराम व अपीलान्ट संख्या 2 से 10 के पति/पिता लोंगाराम ने उक्त भूमि का इन्द्राज गलत तरीके से अपने नाम करवाया है। उक्त वाद में अपीलान्ट प्रतिवादीगण की ओर से जबाब हुआ की प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता फातमा के पति अली खां ने फकरे खां को बेचान कर दी थी एवं फकरे खां ने उक्त भूमि उम्मेदाराम को बेचान की थी जिस पर दिनांक 22–12–1960 को उसके नाम नामान्तकरण स्वीकृत हो गया था। इसके बाद उक्त भूमि का बंटवारा उम्मेदाराम व लोंगाराम के मध्य वाद प्रस्तुत कर करवा दिया व

जिला कलक्टर
जैसलमेर

उसके अनुसार भूमि अपने अपने नाम दर्ज करवा दी। सहायक कलक्टर, पोकरण द्वारा उक्त वाद खारिज कर दिये जाने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो फातमा के पूर्व पति इब्राहिम का पुत्र है द्वारा उक्त न्यायालय के निर्णय दिनांक 30–11–2007 के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के न्यायाल में प्रस्तुत की। उक्त न्यायालय ने अपील संख्या 7/2012 में पारित निर्णय दिनांक 06–04–2015 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, पोकरण का वाद संख्या 6/2006 में पारित निर्णय दिनांक 30–11–2007 खारिज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रश्नगत भूमि का खातेदार घोषित कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 06–04–2015 के विरूद्ध अपीलान्टस ने राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में द्वितीय अपील संख्या 1852/2015/जैसलमेर प्रस्तुत की जिसमें पारित निर्णय दिनांक 08–06–2016 द्वारा अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर का उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 06–04–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि वे धारा 96 सी.पी.सी. पर निर्णय एवं धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को दृष्टिगत रखते हुए आदेश 41 नियम 31 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को ध्यान में रखकर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रत्येक तनकी बाबत् विवेचन करते हुए निर्णय पारित करें। अपीलान्ट द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि जब रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को प्रस्तुत की तब प्रश्नगत नामान्तकरण की जानकारी हुई तब दिनांक 23–06–2016 को प्रश्नगत नामान्तकरण की नकल लेकर यह अपील प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट का कथन है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर ने दिनांक 06–04–2015 को उक्त अपील में निर्णय पारित किया व उसके तत्काल बाद दिनांक 08–04–2015 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने नामान्तकरण प्रविष्टि का आदेश पारित कर दिया जिस पर दिनांक 09–04–2015 को प्रश्नगत नामान्तकरण स्वीकार कर लिया। प्रश्नगत नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व अपीलान्टस व एस.बी.बी.जे. शाखा, रामदेवरा जिसके पास प्रश्नगत भूमि रहन रखी हुई है को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया व न ही कब्जे की स्थिति को दृष्टिगत रखा गया जबकि अपीलान्टस प्रश्नगत भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलान्ट ने प्रश्नगत नामान्तकरण निरस्त करने का अनुरोध किया है। अपील प्रस्तुतीकरण में कारित विलम्ब को क्षम्य करने हेतु अपील के साथ धारा 5 समयावधि अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील समयावधि में शुमार करने का अनुरोध किया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अपीलान्टस प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत धारा 5 समयावधि अधिनिमय के प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित वाकयात बनावटी व कल्पिम होना कथन करते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का अनुरोध किया। उक्त जबाब में समयावधि का बिन्दु निर्णित करने के बाद अपील के गुणावगुण पर निर्णय करने का अनुरोध किया।

रेसपोडेन्ट संख्या 2 एवं 3 की ओर से पैरोकार राज की ओर से प्रस्तुत अपील के जबाब में राजस्व वाद संख्या 6/2006 सहायक कलक्टर, पोकरण के निर्णय दिनांक 30–11–2007 द्वारा खारिज करना, इस निर्णय के विरूद्ध राजस्व प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा अपील में पारित निर्णय दिनांक 06–04–2015 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रश्नगत भूमि को खातेदारी घोषित करना, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील में पारित निर्णय दिनांक 08–06–2016 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के उक्त निर्णय दिनांक 06–04–2015 को अपास्त कर प्रकरण प्रति प्रेषित किया जाना स्वीकार करते हुए कथन किया कि राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायालय में द्वितीय अपील में विचाराधीन के दैरान प्रश्नगत नामान्तकरण स्वीकार किया गया। पैरोकार राज ने साक्ष्य एवं गुणावगुण के आधार पर अपील का निर्णय करने का अनुरोध किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्टस प्रार्थीगण के धारा 5 समयावधि अधिनियम अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अधिवक्ता अपीलान्ट का तर्क रहा कि प्रश्नगत नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 23–06–2016 को होने पर दिनांक 23–06–2016 को प्रश्नगत नामान्तकरण की नकल लेकर दिनांक 27–06–2016 को अपील प्रस्तुत कर दी जो जानकारी होने के 30 दिवस की समयावधि में है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में कारित विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील समयावधि में शुमार की जाये। उनके द्वारा इस संबंध में 2008 आरआरडी, 804, 2009 आरआरडी 451 एवं 2014–15(सप) आरआरडी 450, के न्याय निर्णयनों का उल्लेख किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का तर्क रहा कि अपीलान्ट प्रार्थीगण

जिला कलक्टर
बाड़मेर

के प्रार्थना पत्र में जानकारी की स्पेसिफिक दिनांक उल्लेखित नहीं है। उन्होनें अपने जबाब में उल्लेखित कथनो एवं न्याय निर्णयनों 2009 (।) डीएनजे, एच.सी.141 एवं 2011 आरआरडी 421 का उल्लेख करते हुए समयावधि के बिन्दु पर अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया। पैरोकार राज ने अपने तर्क में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का अनुरोध किया। उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। न्यायहित में अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार किया जाना युक्तियुक्त ठहरता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्टस प्रार्थीगण का समयावधि सम्बन्धी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

गुणावगुण के सम्बन्ध में अधिवक्ता अपीलान्टस ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया की प्रश्नगत भूमि बन्दोबस्त में अली खां पुत्र हसल खां निवासी गोमट के नाम दर्ज थी जिसने इसका बेचान फकरे खां पुत्र हासम खां को कर दिया था व फकरे खां ने उक्त भूमि अपीलान्ट को बेचान कर दी थी जिस पर 1960 में भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज हुई व तब से वे उस पर कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता फातमा द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध दायर वाद सहायक कलक्टर, पोकरण ने तनकीयात कायम व विवेचन पर खारिज किया जिसे राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायालय ने अपास्त कर दिया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के निर्णय के तुरन्त बाद अपीलान्टस व बैंक को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना प्रश्नगत नामान्तकरण स्वीकार किया गया है जिसे अपास्त किया जाये। उन्होंने इस सम्बन्ध में 2014 (2) आरआरडी 1140 के न्याय निर्णयन का उल्लेख किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का तर्क रहा कि प्रश्नगत भूमि प्रारम्भ में अली खां पुत्र हसन खां निवासी गोमट के नाम दर्ज रही। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता फातमा उक्त अली खां की पत्नी थी। अली खां की मृत्यु के बाद फातमा व उसकी मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं 3 द्वारा प्रश्नगत नामान्तकरण सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में भरा जाकर स्वीकार किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अवैधता नहीं रही है। उन्होंने अपील खारिज करने का अनुरोध किया। पैरोकार राज ने अपने जबाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए अपील में विधि सम्मत निर्णय पारित करने का अनुरोध किया।

उभय पक्षों की गुणावगुण के बिन्दु पर प्रस्तुत बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन व परिशीलन किया गया। प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 857 दिनांक 09–04–2015 तहसीलदार, पोकरण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर केम्प जैसलमेर के अपील संख्या 07/2012 में दिनांक 06–04–2015 को पारित निर्णय के अनुसरण में स्वीकृत किया गया है। राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर केम्प जैसलमेर के उक्त निर्णय को अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में द्वितीय अपील के रूप में चुनौती देने पर द्वितीय अपील संख्या डिक्री/टीए/1852/2015/ जैसलमेर में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08–06–2016 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर केम्प जैसलमेर के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 06–04–2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया है कि वे धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर निर्णय एवं धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्षय के अनुसार आदेश 41 नियम 31 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को ध्यान में रखकर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रत्येक तनकी बाबत् विवेचन करते हुए निर्णय पारित करें। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत नामान्तकरण पोषणीय नहीं ठहरता। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एवं अभिलेख पर प्रस्तुत स्थिति के विवेचन से प्रश्नगत नामान्तकरण अपास्त योग्य ठहरता है। अतः उक्त विवेचन एवं परिशीलन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 857 दिनांक 09–04–2015 ग्राम दूधिया पटवार हल्का सादा तहसील पोकरण अपास्त किया जाता है। उभय पक्ष अपना अपना व्यय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 26–03–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/3/18

(कैलाश चन्द मीना)
जिला कलक्टर
जैसलमेर